भारत, गन्ना, जबरन श्रम

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में गन्ने के उत्पादन में वयस्कों को जबरन श्रम का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से बीड जिले में। गैर सरकारी संगठनों और मीडिया संगठनों की रिपोर्टें दिखाती हैं कि जबरन श्रम के संकेतक जैसे कि अनैच्छिक ओवरटाइम, वेतन से अनुचित कटौतियाँ, अपमानजनक जीवन स्थितियाँ और ऋण से जुड़ी भर्ती, सभी गन्ना क्षेत्र में आम हैं। श्रमिक नियमित रूप से बिना विश्राम किए 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं, और कुछ श्रमिक 3-4 महीनों तक बिना छुट्टी के काम करने के बारे में बताते हैं। भर्तीकर्ता नियमित रूप से अग्रिम वेतन के बदले मज़दूरों को काम पर रखते हैं। फसल की कम उपज, वेतन में कटौतियाँ और ब्याज की उच्च दरों के कारण, श्रमिक अपनी अग्रिम राशियाँ चुकाने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे ऋण बंधन के चक्र में फँस जाते हैं। श्रमिकों को पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, जिससे लगातार गर्भाशय में संक्रमण होता है जो उनके काम करने की क्षमता को बाधित करता है। खेतों में कटाई का अप्राप्य कोटा होने के कारण, महिलाओं को हिस्टेरेक्टोमि (गर्भाशय उच्छेदन) कराने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि आगे और संक्रमण तथा आय के नुकसान को रोका जा सके। कुछ अवस्थाओं में, ऋण चुकाने में असफल रहने के कारण श्रमिकों को लंबे समय तक संलग्न स्थानों में बंद करके रखा गया है। श्रमिकों को आम तौर पर दूरस्थ स्थानों पर काम पर रखा जाता है, जहाँ संसाधनों, चिकित्सा देखभाल या कानूनी सहायता तक उनकी पहुँच बहुत कम या बिलकुल नहीं होती।